



**कार्यालय प्राचार्य,  
शासकीय नवीन महाविद्यालय, नानंदघाट  
जिला-बेमेतरा (छ.ग)**

**College Code-208**

**Email-govtcollegenandghat@gmail.com**

क्रमांक / 540 / स्था / अतिथि व्या.विज्ञापन / 2026-27

नानंदघाट, दिनांक : 21 / 08 / 2026

**परिशिष्ट-2**

**--:: अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन ::--**

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / 2035 / 637 / 2026 / राज.स्था / 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18.08.2026 के पत्रानुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) में दिये गये निर्देशों के अनुसार **शासकीय नवीन महाविद्यालय, नानंदघाट जिला-बेमेतरा** में रिक्त सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध **सत्र 2026-27** के लिए अर्थशास्त्र विषय में अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **03/09/2026 सायं 05:00** बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

01- अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम **55 प्रतिशत** अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम **50 प्रतिशत** अंक होने चाहिए।

02- आयु सीमा-अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम **65 वर्ष** तक।

03- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**विषय एवं पदों का विवरण**

| क्रमांक | विषय        | रिक्त पद संख्या |
|---------|-------------|-----------------|
| 01      | अर्थशास्त्र | 01              |

**टीप :-** संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति एवं नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

**अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अंतर्गत नियम एवं शर्तें :-**

- आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट, नेट, एम.फिल, पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- दिनांक 03/09/2026 को संध्या 05:00 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
- अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 08/09/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व **अग्रणी महाविद्यालय पं.जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा** के वेबसाइट **govtpgcollegebemetara.com** पर प्रकाशित किया जावेगा।
- गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि-11/09/2026 तक होगी।
- अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 14/09/2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय के सूचना पटल व **अग्रणी महाविद्यालय पं.जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बेमेतरा** के वेबसाइट पर किया जावेगा।

**कमश:.....02 पर**



**कार्यालय प्राचार्य,  
शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट  
जिला-बेमेतरा (छ.ग)**

College Code-208

Email-govtcollegenandghat@gmail.com

--: 02 ::--

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय-सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :
  - अतिथि व्याख्याता मानदेय- 2000/-प्रति कार्यदिवस (प्रतिमाह अधिकतम-50000/-)
  - अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडाधिकारी मानदेय- 1600/-प्रति कार्यदिवस (प्रतिमाह अधिकतम-40000/-)
  - अतिथि शिक्षण सहायक मानदेय- 1400/-प्रति कार्यदिवस (प्रतिमाह अधिकतम-36000/-)
  - अतिथि ग्रंथपाल सहा. /अतिथि क्रीडाधिकारी सहा.मानदेय- 1200/-प्रति कार्यदिवस (प्रतिमाह अधिकतम-30000/-)
11. अतिथि व्याख्याता/अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीडाधिकारी/अतिथि शिक्षण सहायक/अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडाधिकारी सहायक के लिए प्रतिदिन 07 घंटा कार्य किया जाना आवश्यक है।
12. आवेदन बंद लिफाफा के उपर पत्राचार का पता-**प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट जिला-बेमेतरा पिन-491340** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
13. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
14. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत,यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य प्रवेश,परीक्षा,छात्रसंघ चुनाव,योजनाओं का संचालन,साहित्यिक कार्यक्रम,क्रीडा गतिविधियां,युवा उत्सव,आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
17. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है,तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

  
(डॉ.नम्रता पाण्डेय)  
प्रचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट  
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ 541 /स्था/अतिथि व्या.विज्ञापन/2026-27

नांदघाट,दिनांक : 21/08/2026

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक 3 द्वितीय एवं तृतीय तल,इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय परिसर दुर्ग को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य शासकीय .....महाविद्यालय को इस सूचना को सूचना पटल पर स्थान देने के अनुरोध सहित प्रेषित।
04. दैनिक समाचार पत्र ..... को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने समाचार-पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
05. महाविद्यालय की सूचना पटल हेतु।

  
(डॉ.नम्रता पाण्डेय)  
प्रचार्य  
शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट  
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)